—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0—41/2023

(जीसीएमएस नं0 2023/69)

उनवान —सरकार बनाम योगेश बंसल पुत्र श्री चन्द्रशेखर बंसल,उम्र 39 वर्ष,जाति वैश्य,मालिक एवं मैसर्स : बालाजी घी भण्डार , धौलपुर निवासी गंज पुराना शहर, धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक —29.01.2024**

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री योगेश बंसल पुत्र श्री चन्द्रशेखर बंसल,उम्र 39 वर्ष,जाति वैश्य,मालिक एवं मैसर्स : बालाजी घी भण्डार , धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/51एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.03.2023 को अभियुक्त/अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण के दौरान दुकान में मौजूद टंकी में लगभग 15 किलोग्राम घी आम जनता के विकय करने हेतु रखा था। उक्त घी में मिलावट का शक होने पर उक्त घी में से 800 ग्राम घी वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त घी नमूना डी—2748 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस/230/एसीटी/2023/273 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया घी अनसेफ/सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। दुबारा जॉच हेतु सैंम्पल रेफरल प्रयोगशाला मैंसूर भिजवाया गया । रेंफरल प्रयोगशाला से प्राप्त सर्टिफिकेट संख्या 368 एफ/एफएसएसए/2023 दिनांक 14.07.2023 के अनुसार नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैडर्ड घी का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड घी बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री सरकार बनाम योगेश बंसल पुत्र श्री चन्द्रशेखर बंसल,उम्र 39 वर्ष,जाति वैश्य,मालिक एवं मैसर्स : बालाजी घी भण्डार , धौलपुर निवासी गंज पुराना शहर, धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 20000/—रुपये (बीस हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)